न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी – श्री भास्कर विश्नोई आर.ए.एस.)

मिसल नं0 790/दावा/2017
दायरा दि0 28/07/2017

उनवान

प्रेमबिहारी पुत्र कालूलाल जाति धाकड निवासी भैरूपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड
— वादी

बनाम्

1. महेंद्रकुमार पुत्र कालूलाल जाति धाकड निवासी भैरूपुरा तह0 खानपुर
2. शाखा प्रबन्धक बडौदा क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गोईकलां तह0 सांगोद जिला कोटा
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील खानपुर जिला झालावाड

— प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट 1955 एवं
सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट 1956

उपस्थित :– श्री गिरधारीलाल नागर अधिवक्ता – वादी
श्री शिवनारायण नागर अधिवक्ता – प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 05/04/2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट 1955 एवं सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट 1956 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम भैरूपुरा की जमाबंदी सं0 2072–75 की खाता सं0 69 की ख0नं0 156 की 0.18 बीघा, ख0नं0 157 की 1.01 बीघा, ख0नं0 158 की 1.06 बीघा, ख0नं0 161 की 1.00 बीघा कुल 4 किता की 4.05 बीघा आराजी में से 1/2 हिस्सा वादी के पिता द्वारा वादी के नाम से दिनांक 26.05.1983 को कय किया गया था, उस समय वादी की आयु मात्र 3 वर्ष की थी। वादी के पिता कालूलाल द्वारा वादी के नाम से आराजी खरीदते समय वादी के बोलचाल का नाम प्रेमनारायण वल्द कालूलाल के नाम से आराजी को खरीद किया था। वादी को स्कूल में दाखिला कराते समय वादी का नाम प्रेमबिहारी पुत्र कालूलाल दर्ज करवाया गया। वादी का यही नाम आज तक का शिक्षा, आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र में चला आ रहा है। ग्राम पंचायत कंवरपुरामण्डवालान ने भी प्रमाणित किया है कि प्रेमबिहारी का बचपन का नाम प्रेमनारायण था तथा प्रेमनारायण व प्रेमबिहारी एक ही व्यक्ति है। वादी के पिता कालूलाल के फौत होने पर फौती नामान्तरण सं0 40 में भी वादी का नाम प्रेमबिहारी ही दर्ज किया गया है। वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम प्रेमनारायण दर्ज होने से अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से में वादी का नाम प्रेमनारायण पुत्र कालूलाल के स्थान पर प्रेमबिहारी पुत्र कालूलाल घोषित किया जाकर तदनूसार राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावे। अन्य सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह वादी को अता फरमायी जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0 2, 3 के बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी नं0 1 महेंद्रकुमार ने जर्ये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबालिया जवाबदावा पेश किया तथा पक्षकारान ने राजीनामा भी पेश किया जिसे तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये

[1]

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner

प्रकट किया कि ग्राम भैरूपुरा की वादग्रस्त आराजी 4 किता की 4.05 बीघा आराजी में से 1/2 हिस्सा वादी के पिता ने दि0 26.05.1983 वादी के नाम से खरीदी थी, उस समय वादी मात्र 3 वर्ष का था। इस रजिस्ट्री में वादी के पिता कालूलाल ने वादी का बोलचाल का नाम प्रेमनारायण लिखाया था, जबकि स्कूल में दाखिला कराते समय वादी का नाम प्रेमविहारी पुत्र कालूलाल दर्ज करवाया गया। यही नाम शिक्षा, आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र में चला आ रहा है। इसे ग्राम पंचायत कंवरपुरामण्डवालान ने भी प्रमाणित किया है। प्रेमनारायण व प्रेमविहारी एक ही व्यक्ति है। वादी के पिता कालूलाल के फौती नामान्तरण सं0 40 में भी वादी का नाम प्रेमविहारी ही दर्ज है। खाते में प्रेमनारायण दर्ज होने से मुझे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमने शिक्षा, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राजस्व रेकार्ड पेश किया हैं तथा सह खातेदार प्रतिवादी नं0 1 ने इकबालिया जवाबदावा पेश कर हमारे दावे को स्वीकार किया है। साथ हमने दि0 22.03.18 को राजीनामा भी पेश किया है। हमारा दावा साबित है। अतः हमारा दावा स्वीकार कर डिक्री करें तथा वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से में वादी का नाम प्रेमनारायण पुत्र कालूलाल के स्थान पर प्रेमविहारी पुत्र कालूलाल घोषित किया जाकर तदनूसार राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावे।

हमने पत्रावली का सूक्ष्मता से अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। नकल जमाबंदी सं0 2072–75 ग्राम भैरूपुरा के खाता सं0 69 की 4 किता रकबा 4.05 बीघा आराजी से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से में महेंद्रकुमार , प्रेमविहारी पिता कालूलाल दर्ज है एवं शेष भाग पर प्रेमनारायण पिता कालूलाल दर्ज है। नामातंरण पंजिका ग्राम भैरूपुरा के नामा0सं0 40 से भी स्पष्ट है कि खातेदार कालूलाल का फौती इंतकाल भी महेंद्रकुमार, प्रेमविहारी दोनों पुत्रों एवं बेवा मदनबाई और चार पुत्रियों पारवतीबाई, रागमूर्ति, राजेशबाई एवं हेमलताबाई के नाम तस्दीक किया गया अर्थात प्रेमनारायण नाम का कोई पुत्र कालूलाल के नहीं है। ग्राम पंचायत कंवरपुरामण्डवालान द्वारा दिनांक 7.6.17 को जारी प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट किया है कि कालूलाल के दो पुत्र महेंद्रकुमार एवं प्रेमविहारी ही हैं। प्रेमविहारी को ही बचपन में प्रेमनारायण कहते थे तथा इसका सही नाम प्रेमविहारी ही है। प्रेमनारायण पुत्र कालूलाल नाम का कोई व्यक्ति ग्राम भैरूपुरा में नहीं है। प्रेमविहारी पुत्र कालूलाल एवं प्रेमनारायण पुत्र कालूलाल एक ही व्यक्ति है। वादी के राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान पर भारत निर्वाचन आयोग में भी वादी का नाम प्रेमविहारी अंकित है। प्रतिवादी सं0 1 एवं सहखातेदार महेंद्रकुमार ने भी राजीनामा पेश कर इसकी पुष्टि की है। वादी के नाम से उक्त आराजी क्रय की गई है तथा विक्रय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि केता की उस समय आयु 3 वर्ष दर्ज है। वादी ने शपथ पत्र पर यह स्पष्ट किया है कि मेरे पिता द्वारा मेरी 3 वर्ष की आयु में मेरे बोलते नाम प्रेमनारायण से उक्त आराजी क्रय कर ली गई थी, जबकि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम प्रेमविहारी दर्ज करवाया गया है। उपरोक्त विवेचन एवं पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामें के आधार पर वादी का वाद बखूबी साबित है। ऐसे में वादी चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वाद, वादी साबित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम भैरूपुरा की जमाबंदी सं0 2072–75 की खाता सं0 69 की ख0नं0 156 की 0.18 बीघा, ख0नं0 157 की 1.01 बीघा, ख0नं0 158 की 1.06 बीघा, ख0नं0 161 की 1.00 बीघा कुल 4 किता की 4.05 बीघा आराजी के 1/2 भाग पर खातेदार प्रेमनारायण पुत्र कालूलाल के स्थान पर प्रेमविहारी पुत्र कालूलाल को खातेदार घोषित किया जाता है। प्रेमनारायण पुत्र कालूलाल का नाम खाते से खारिज हो। इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

निर्णय आज दिनांक 05/04/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner